को है। उपरोक्त परिस्थिति में भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पंजीकृत वसीयत व दान पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। जब तक पंजीकृत वसीयत व दान पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक वे प्रभावी एवं वैद्य है तथा उनके आधार पर राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टियां भी वैद्य हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने का क्षेत्राधिकारप्राप्त नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उसी दशा में मान्य न्यायालय के श्रवणाधिकार के योग्य हो सकती है जब वसीयत व दान पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी जावें। न्याय हित में भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के श्रवण किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाना निहायत जरूरी हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से परे होने के कारण मय हर्जा व खवा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमनें वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई एवं वकील रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड यथा नामान्तकरण संख्या 559 ग्राम पंचायत माधोगढ़ ग्राम ग्वालिनी के प्रस्ताव की नकल, रजिस्टर्ड वसीयत की फोटोप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र एंव अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2059–2063, 2072–2075, 2076–2079 का अवलोकन किया गया एवं नामान्तकरण संख्या 559 दिनांक 05.03.2018 अनुसार वाके ग्राम ग्वालिनी खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.13 है, 1313 रकबा 0.10 है0, 1586 रकबा 0.25 है0, 1259 रकबा 0.18 है0 अपीलान्ट अशोक कुमार तथा खसरा नम्बर 504 रकबा 1.69 है0, 515 रकबा 0.04 है0, 516 रकबा 0.09 है0, 517 रकबा 0.57 है0, 521 रकबा 0.36 है0, 592 रकबा 0.04 है0, 593 रकबा 0.03 है0, 595 रकबा 0.43 है0 रेस्पोडेन्ट सुशील कुमार के नाम नामान्तकरण अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भरा जाकर तस्दीक होना तथा वाके ग्राम ग्वालिनी खसरा नम्बर 1628, 1629, 1630, 572, 573, 574, 575, 585 रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 14.02.2008 द्वारा अर्जित होकर के रेस्पोडेन्ट सुशील कुमार के नाम नामान्तकरण तस्दीक होकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना स्पष्ट है। उक्त नामांतकरण संख्या 559 दिनांक 05.03.2018 को उक्त भूमियों के सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता चान्दमल द्वारा जारी रजिस्टर्ड वसीयत एवं दानपत्र के आधार पर तस्दीक होना स्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत एवं दानपत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। क्योंकि उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र एवं वसीयत पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील नामांतकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः

आदेश है कि

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 559 दिनांक 05.03.2018 ग्राम ग्वालिनी ग्राम पंचायत माधोगढ तहसील बस्सी हाल तूंगा को रजिस्टर्ड वसीयत एवं दानपत्र के आधार पर तस्दीक होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते